उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-47/2020/528/92-2-2020-59(जांच)/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 14 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी विकास खण्ड-मौंठ में तिगरा सकनरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-165/2017/1320/92-2-17-59(जांच)/2016, दिनांक 13.09.2017 द्वारा श्री शिवलाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1987/92-2-2017-59(जांच)/2016, दिनांक 08.11.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री शिवलाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 09.11.2017 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 16.04.2018 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री शिवलाल के विरूद्ध अधिरोपित कुल-05 आरोपों को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-1 एवं आरोप संख्या-2 को प्रमाणित नहीं पाया, किन्तु आरोप संख्या-3 जो मिट्टी के कार्य हेतु शासकीय क्षति से संबंधित था को पूर्ण रूप से तथा आरोप संख्या-4 एवं आरोप संख्या-5 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 07.05.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन दिनांक 29.06.2018 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी के पत्र दिनांक 10.07.2018 के माध्यम से शासन मे उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री शिवलाल के विरूद्ध अधिरोपित कुल-05 आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-3 एवं आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप-4 एवं आरोप संख्या-5 के संबंध मे प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन तथा आरोप संख्या-3 जो मिट्टी के कार्य हेतु शासकीय क्षति संबंधित था, के संबंध में प्राप्त निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की आख्या दिनांक 03.12.2018, दिनांक 18.10.2019 एवं दिनांक 01.01.2020 के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि पूर्ण रूप से प्रमाणित आरोप संख्या-3 जो मिट्टी के कार्य की शासकीय क्षति से संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

था, प्रमाणित नहीं होता है। अपचारी अधिकारी श्री शिवलाल जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त् हो गयें है। अत: आंशिक रूप प्रमाणित आरोप संख्या-4 एवं आरोप संख्या-5 मे उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई अवसर नहीं रह गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-165/2017/1320/92-2-17-59(जांच)/2016, दिनांक 13.09.2017 द्वारा श्री शिवलाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-47/2020/528(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जांचअधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद।
3- श्री शिवलाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।